


<p>तारीख हकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
<p>27-10-20</p>	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 17-11-20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">7</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>
<p>17-11-20</p>	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 15-12-20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">N</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>
<p>15-12-20</p>	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 24-12-20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">N</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>
<p>24-12-20</p>	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शां पठ किये गये। घरवार एल्का द्वारा मौफा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे खिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नही, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश किये जाते हैं वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रपत्र से लिखा जाना शां पठ किया गया। पत्रावली फाइल नुम्बर होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">8</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p> <div style="text-align: right;">  </div>

राजस्थान -सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

नेटासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

कदमा संख्या - 112/20 प्रा/पत्र

-श्री सुरेशचंद्र शंकर लाल पारीक (विहाण) निवासी - गोगास तं गावडी
हाल निवासी - भीलवाड़ा जिला - भीलवाड़ा

-प्रार्थी

बनाम

-श्री दुर्गाशंकर शंकर लाल पारीक (विहाण) निवासी - गोगास तं गावडी (कौल)
(पृष्ठांकित प्रपत्रा संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 24.12.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन या कि ग्राम..... गोगास पटवार हल्का..... गोगास तहसील माण्डल में उसके खेते /संयुक्त खेते की आराजी नं. 687 कुल किता..... 01 रकबा..... 05 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्हों होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खेते/संयुक्त खेते भूमि की पत्थरगडी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07.07.20 को पंजीबद्ध किया जाकर रण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगडी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को लेते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... गोगास पटवार हल्का..... गोगास तहसील माण्डल में उसके खेते/संयुक्त खेते की आराजी नं. 687 कुल किता..... 01 रकबा..... 05 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगडी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगडी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सुहारिया 300/- ये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा जावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथार्थिथति को बनाये लेते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगडी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगडी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

निलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगडी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा